15.7.19	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी न अपीलान्ट न अधिवक्ता अपीलान्ट और न रेस्पो० की ओर से कोई उपस्थित हुआ, पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल से निगरानी खारिज होने के पश्चात् उभय पक्ष को न्याया० हाजा में दिनांक 17.8.17 को उपस्थित होने बाबत पाबन्द किया गया था, परन्तु आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(0)
पुनर्वास अधिकारी,
बदेन
राजस्व अपील अधिकारी
[illegible]